न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 29/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00031)

1. शिव कृषि महाविद्यालय संस्थान, लूकसा जोहड़ा बिल्यू बास महियान जरिये सचिव अतुल कुमार गर्ग पुत्र रमेश चन्द्र गर्ग साकिन जयपुर।
2. शिव कृषि महाविद्यालय संस्थान, लूकसा जोहड़ा बिल्यू बास महियान जरिये उपाध्यक्ष केशवानन्द पुत्र ब्रहमानन्द जाति सरस्वती साकिन बिल्यू बास महियान।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 05.05.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर चूरू ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 18.02.1995 के द्वारा शिव कृषि महाविद्यालय संस्थान बिल्यूबास महियान, तहसील सरदारशहर को कृषि महाविद्यालय निर्माण हेतु ग्राम बिल्यूबास महियान, के खसरा नम्बर 81 तादादी 58 बीधा 6 बिस्वा किस्म आगौर पायतन में से 15 एकड़ भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित की गई थी उसको राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक–एफ. 10 (3) राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.11 एवं प.10(3) राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.12 के अनुसरण में अपने आदेश दिनांक 04.11.2019 द्वारा उक्त भूमि का आवटन निरस्त कर दिया। तथा उक्त भूमि व भवन को सरकार को सुपुर्द करने के आदेश दिये। आदेश दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि यह अपील जिला कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई थी। जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2034 दिनांक 23.12.2019 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 04.11.2019 को विड्रा (Withdraw) कर दिया है। अतः पत्रावली का निस्तारण कर दाखिल दफ्तर किया जावें।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश विड्रा (Withdraw) कर लिया गया है, अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / अध्ययन किया। अपीलान्ट को आवटित भूमि गै.मू. आगौर किस्म की भूमि है जिसके नवीनीकरण के आवेदन पर अपीलाधीन आदेश पारित किये गय है। नोट शीट पर दिनांक 20.12.2019 को राजस्थान भू. राजस्व (कृषि भूमि आवटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) में कार्यवाही के निर्देश के साथ अपीलाधीन आदेश को प्रत्याहरित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट प्रभावहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर